

ग्रामालय उप जिला कलेक्टर हिण्डान

फर्द अहकाम

मिसल आई.डी. नंबर 00103 / 2020

मुकदमा नंबर / दावा / 1255 / 2020

तारीख रजू 9.07..2020

उनवान

भीमसिंह पुत्र श्रीहीरासिंह जाति गुर्जर निवासी बडीबाखर हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

— वादीगण (01)

बनाम

रामसिंह उर्फ रम्मु पुत्र हीरासिंह बगैरह जाति गुर्जर निवासी बडी बाखर तहसील हिण्डौनसिटी जिला करौली

— प्रतिवादीगण (02)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.08.2020 को पेश हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

11 $\frac{08}{20}$ - वहुलाय उपस्थित/पीठारसीन अधिकारी...
पधारै है। मतानुसार दिनांक 24/11/20 को पेश हो।

24 $\frac{11}{20}$ - वहुलाय उपस्थित/पीठारसीन अधिकारी...
पधारै है। मतानुसार दिनांक 12/12/20 को पेश हो।

1/2024 पत्रावली दिनांक 11/08/2020 को वादी वकील उपस्थित।
वादी वकील ने मतानुसार दावा किया कि वादी
उत्तरण को नहीं चलाता नहीं चाहता है। उत्तरण
वादी की ओर से उपस्थित करना चाहिए।
मत: मु. र. 1255/2020 दावा भीमसिंह कुमार
नामाकीट निषेधाज्ञा के आदेश दिया जाता है।



11/08/20

ky

11/08/20